[Shri Jaswant Singh]

which were going to give or had given lease to Indian Airlines and Air India.

Therefore, on all these grounds, Madam, I find this piece of ordinance, legislation-making, highly objectionable. I have very serious difficulties with it on the grounds that I have said and principally on the ground that the Government is * the Legislature and that the Government's intentions are * in creating a smoke-screen behind which it is, in fact, attempting to encroach upon the money-making rights of Parliament through an ordinance. Hence my motion of disapproval.

RE. SUBMISSION OF BACHAWAT REPORT- *contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have received a chit from a Member that the Minister wants to give an answer to some query made by a Member. I am happy that the Minister is responding immediately.

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय): मैडम वाइस चेयरमैन साहिबा, जर्नलिस्ट और नान-जर्नलिस्ट का वेज-बोर्ड 1985 में गठित किया गया था और जिसका चेयरमैन जस्टिस यू० एन० बछावत को बनाया गया। अभी तक उनके इस वेज-बोर्ड का समय हम 7 बार बढ़ा चुके हैं। अभी हाल ही में उनका एक पत्र फिर हमारे श्रम मंत्रालय में आया कि दो महीने का समय और दिया जाए। इस वेज-बोर्ड के मामले में अभी तो मुझे यहां कुछ नहीं कहना है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम 7 बार उसका समय बढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा काम और बाकी है, दो महीने का समय और दिया जाए...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : किस बारे में आप बोल रहे हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री राधाकिशन मालवीय : जर्नलिस्ट और नान-जर्न-लिस्ट वेज-बोर्ड के बारे मे।...**(व्यवधान)**...

*Expunged as ordered by the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is better you specify so that people know in respect of which you are speaking.

श्री राधाकिशन मालवीय : महोदया, जस्टिस यू० एन० बचावत जो वेज बोर्ड के चेयरमैन हैं, उसके संबंध में कह रहा हूं। हमारे मंत्रालय में उनका पत्र आया है कि दो महीने का समय और दिया जाए। उसको हम एक्जामिन कर रहे हैं। उस पर क्या होगा, जब वेज बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तब श्रम मंत्रालय उस पर अपना कमेंट करेगा।

श्री रऊफ वलीउल्लाह (गुजरात): मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। ये कहते हैं कि दो महीने की अवधि बढ़ा दी जाए उसके लिए उनका पत्र आया है। आप उस पर गौर कर रहे हैं। तो दो महीने बढ़ा रहे हैं क्या?...**(व्यवधान)**...

श्री राधाकिशन मालवीय : हमने कई बार उनको कहा, मैंने व्यक्तिगत उनसे कहा कि आपका समय बहुत बार बढ़ाया जा चुका है, मेहरबानी करके आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। मगर हम समय बढ़ाने वाले नहीं हैं। उनका लैटर आया है, श्रम मंत्रालय उस पर निर्णय करेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय मंत्री जी को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि अगर बचावत आज रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनको रिपोर्ट देने के लिए आप समय बढ़ाएंगे, इसके बारे में आप निर्णय लेंगे?

श्री रऊफ वलीउल्लाह : माननीय मंत्री जी हमको कह सकते हैं कि नहीं बढाएंगे। तो क्या रिपोर्ट आज पेश हो जाएगी यह ये बता सकते हैं?

श्री राधाकिशन मालवीय : माननीय सदस्य ने जिस भावना से अपनी बात रखी है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं मगर 31 मार्च का दिन आज है, वह अपनी रिपोर्ट शाम तक दे सकते हैं किन्तु उन्होंने दो माह का समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और मांगा है।...**(व्यवधान)**

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश): कैसी बात कर रहे हैं आप? शाम को तो ठक्कर की आएगी।

श्री राधाकिशन मालवीय: वह ठक्कर की बात नहीं है, यह जर्नलिस्टों की है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: तो उनका समय मत बढ़ाइए , सरकार अपने स्तर पर फैसला ले ले।

उपसभापति : माननीय सदस्यों का यह कहना है कि सात बार यह जर्नलिस्टों के वेतन के बारे में जो रिपोर्ट है उसकी अवधि बढ़ा दी है और आप कहते हैं कि आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी चिट्ठी आई है कि दोबारा बढ़ाई जाए. आज 31 तारीख है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि आप शाम तक इस बारे में उनसे मिलकर निर्णय लें जो भी आपको लेना है और हाउस को बता दें तो अच्छा होगा।

श्री राधाकिशन मालवीय: इस संबंध में आपको शाम तक जानकारी देंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I ask Mr. Ajit Panja to move the Income-tax (Amendment) Bill, 1989, as passed by the Lok Sabha.

STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING INCOME-TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 1989 (NO. 1 OF 1989) PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON 24TH JANUARY, 1989

AND

INCOME TAX (AMENDMENT) BILL, 1989 — *contd.*

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): Madam, I beg to move:

> "That the Income-tax (Amendment) Bill, 1989, to replace the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1989, as passed by the Lok-Sabha, be taken into consideration."

Madam, the hon. Members may recollect that on 8th December, 1988, the Soviet Republic of Armenia was hit by a massive earthquake which killed more than 50,000 people and caused large-scale damage to properties. India was one of the first countries in the world to send relief materials to the victims of the earthquake. To augment the resources for providing relief to the survivors of the earthquake, a Special Fund, called "Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund" was opened to receive contributions in cash or by cheque from individuals and organisations. In order to encourage contributions to this Fund, it was proposed to provide 100 per cent deduction from the gross total income in respect of contributions to this Fund by amending Section 80G of the Income-tax Act, 1961.

Further, in order to facilitate the payment of lease rent without deduction of tax at source by Air India and Indian Airlines against acquiring an aircraft on lease from the Government of a foreign State or a foreign enterprise under an agreement approved by the Central Government, it was proposed to amend the provisions of section 10 of the Income-tax Act, 1961, so as to exclude the payment of the lease rent from the purview of the total income.

As the Parliament was not in session and it was necessary to take immediate action with regard to the amendments to the provisions of the Income-tax Act for the aforesaid purpose, an Ordinance, called the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1989, was promulgated by the President on 24th January, 1989.

The Income-tax (Amendment) Bill, 1989, seeks to replace the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1989. The provisions of the Bill will come into force from the 24th January, 1989, the date on which the Ordiance was promulgated and will be relevant for computing the income for assessment year 1989-90 and subsequent years.